

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-740/2013

न्यायालय:- प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद,
जिला भिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-740/2013

संस्थित दिनांक:-20/09/2013

फाईलिंग नम्बर 230303002862013

शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र, गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड म0प्र0

अभियोजन

बनाम्

1. अभिषेक पुत्र राजेन्द्र शर्मा उम्र-26 साल व्यवसाय
खेती निवासी ग्राम देवरी पुलिस थाना मेहगांव जिला
भिण्ड म0प्र0

आरोपी

(आरोप अंतर्गत धारा- 25 (1)(1-ख) क आयुद्ध अधिनियम)

(राज्य द्वारा एडीपीओ -श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपी द्वारा अधिवक्ता- श्री अशोक पचौरी)

// निर्णय //

// आज दिनांक 09/01/2017 को घोषित किया //

आरोपी पर दिनांक 07/07/13 को करीबन 11:15 बजे ग्राम बंजारे के पुरा के पास पहाड डांग पर सार्वजनिक स्थल पर एक 315 वोर की बंदूक एवं दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य मे रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25 (1)(1-ख) क के अंतर्गत आरोप है।

2 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-740/2013

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 07/07/13 को पुलिस थाना गोहद चौराहा के इंचार्ज प्रभारी सुभाष पांडे फरियादी भवरपाल द्वारा की गई रिपोर्ट पर जांचे तु डांग पहाड पर रवाना होकर बंजारे के पुरा के पास पहुंचा था जहां उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि पहाड पर कोई बाहरी चार आदमी बंदूक से लेस होकर घूम रहे है एवं कोई गंभीर घटना घटित करने की फिराक में हैं इस पर वह मय फोर्स शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.03 -1406 से रवाना होकर मौके पर पहुंचा था तो वहां उसे 04 आदमी दिखे थे सभी के पास बंदूक थी पुलिस को देखकर चारों आदमी अलग-अलग दिशाओं में भागे थे फोर्स को अलग-अलग विभाजित कर पकडने हेतु पीछे दौड़ाया था तथा वह स्वयं आरक्षक मनोज शुक्ला के साथ एक आदमीके पीछे भागा था उन दोनों ने उसे घेरकर पकडा था नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अभिषेक बताया था आरोपी के कब्जे से एक हाफ वट 315 वोर की गन जिस पर ए.बी08-04465 पडा था जिसकी मैगजीन में दो जिंदा कारतूस लगे थे जप्त की थी। आरोपी के पास बंदूक एवं कारतूस रखने बाबत लाईसेंस नहीं था। मौके पर ही आरोपी से बंदूक कारतूस एवं मोटरसायकिल जप्त की थी तथा आरोपी को गिरफ्तार किया था एवं लिखा पढी की थी। तत्पश्चात थाना वापिस आकर आरोपी के विरुद्ध [अप0क0165/13](#) पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्तानुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये आरोपी को आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया ।

4. दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया हैं।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है:-

3 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-740/2013

1. क्या आरोपी ने दिनांक 07/07/13 को 11:15 बजे ग्राम बंजारे के पुरा के पास पहाड डांग पर सार्वजनिक स्थल पर अपने आधिपत्य में एक संचालनीय स्थिति वाला आयुध 315 वोर की बंदूक एवं दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी भंवरपाल आ0सा01, आरक्षक मनोज शुक्ला आ0सा02, ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा03, आरक्षक गुलाबचन्द्र आ0सा04, प्र0आर0 राजकिशोर सिंह आ0सा05, प्र0आर0 वीरेन्द्र सिंह आ0सा06 एवं नीरज भारद्वाज आ0सा07 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

{ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण }

विचारणीय प्रश्न क0-1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में जप्तीकर्ता ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 07/07/13 को बंजारे के पुरा का भंवरपाल बंजारा मारपीट की रिपोर्ट करने थाने पर आया था वह भंवरपाल के साथ मय फोर्स शासकीय वाहन से रवाना होकर बंजारे के पुरा पर पहुंचा था वहां जरिये मुखबिर उसे सूचना मिली थी कि डांग पहाड पर चार हथियार बंद आदमी देखे गये हैं जो वारदात करने की फिराक में हैं सूचना की तस्दीक हेतु वह डांग पहाड पर पहुंचा था पुलिस को देखते ही उक्त चारों आदमी अलग अलग दिशाओं में भागे थे एक व्यक्ति के पीछे वह और आरक्षक मनोज शुक्ला गये थे उसे पकड़ा था नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम अभिषेक शर्मा बताया था। उसके पास एक हाफ वट 315 वोर की बंदूक थी जिसकी मैगजीन में दो कारतूस लगे थे आरोपी के पास उक्त बंदूक एवं कारतूस रखने बाबत लाईसेंस नहीं था। आरोपी के पास मोटरसायकिल के भी कागजात नहीं थे उसने मौके पर ही आरोपी से बंदूक कारतूस और मोटरसायकिल गवाह भंवरपाल एवं आरक्षक मनोज के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी01 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

4

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-740/2013

उसने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी03 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके पश्चात उसने आरोपी के विरुद्ध प्र0पी06 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके एसेए तथा बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए की बंदूक एवं आर्टिकल बी एवं सी के कारतूस वहीं बंदूक एवं कारतूस हैं जो उसने आरोपी से जप्त किये थे। प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि मौके पर वह फोर्स के 07-08 आदमी थे जिनमें ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर आरक्षक वीरेन्द्र सिंह, प्र0आर0 राजेन्द्र सिंह, ब्रजराज सिंह आरक्षक मनोज शुक्ला, आरक्षक उदय सिंह, आरक्षक बंटी थे तीन आरोपीगण को किस किस ने पकड़ा था वह नहीं बता सकता है। उसे जानकारी नहीं है कि अन्य लोगों को कहां से पकड़ा था।

8. साक्षी आरक्षक मनोज शुक्ला आ0सा02 ने भी अपने कथन में जप्तीकर्ता ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा03 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को ए0एस0आई सुभाष पांडे के साथ बंजारे के पुरा जाने तथा मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर आरोपी से हाफ वट की बंदूक एवं मोटरसायकिल जप्त करने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी02 बनाया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके साथ भंवरपाल बंजारा भी था जिसके सामने दरोगा जी ने बंदूक की जप्ती की थी दिनांक 08/07/13 को आरोपी से पूछताछ कर प्र0पी05 का मेमोरेण्डम बनाया गया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसके दूसरे दिन आरोपी से 315 वोर के दो कारतूस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी04 बनाया गया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र04 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामा प्र0पी01 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं।

09. साक्षी भंवरपाल आ0सा01 जिसे जप्ती की कार्यवाही का स्वतंत्र साक्षी बताया गया है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र0पी01 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी02 के क्रमशः ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को

अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

10. साक्षी गुलाबचन्द्र आ0सा04 ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपी अभिषेक 315 वोर के हाफ वट लेकर पकड़ा गया था उससे थाने पर पूछताछ की गई थी मेमोरेण्डम प्र0पी07 के एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. प्र0आर0 वीरेन्द्र सिंह आ0सा06 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 07/07/13 को आरोपी अभिषेक से पूछताछ कर प्र0पी05 का मेमोरेण्डम लिया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी अभिषेक शर्मा एवं पप्पू उर्फ पंडित के घर की तलाशी लेने पर कटटा बरामद नहीं हुआ था। तलाशी पंचनामा प्र0पी09 के एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं आरोपी अभिषेक शर्मा से दिनांक 09/07/13 को डांग पहाड पत्थर के नीचे से 315 वोर के दो कारतूस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी04 बनाया गया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि मेमोरेण्डम प्र0पी05 में अभिषेक ने कारतूस के संबंध में कोई कथन नहीं दिया है।

12. प्र0आर0 आरक्षक राजकिशोर सिंह आ0सा05 द्वारा जप्तशुदा आयुध की जांच रिपोर्ट प्र0पी08 को प्रमाणित किया गया है एवं नीरज भारद्वाज आ0सा07 द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी09 को प्रमाणित किया गया है।

13. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

14. सर्व प्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी अभिषेक के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार ली गई है। उक्त संबंध में साक्षी नीरज भारद्वाज आ0सा07 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 05/09/13 को थाना गोहद चौराहा के आरक्षक मनोज शुक्ला द्वारा थाने के अप0क्र0165/13 की कैस डायरी जप्तशुदा आयुध सहित अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिला

6

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-740/2013

दंडाधिकारी कार्यालय भिण्ड में प्रस्तुत की गई थी एवं तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री एम0सी0बी0चक्रवर्ती द्वारा कैस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी अभिषेक के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी09 है जिसके एसेए भाग पर तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री एम0सी0बी0चक्रवर्ती के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। उसने श्री एम0सी0बी0चक्रवर्ती के अधीनस्थ कार्य किया है इसलिये वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है।

15. इस प्रकार नीरज भारद्वाज आ0सा07 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा आयुध कैस डायरी सहित तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री एम0सी0बी0चक्रवर्ती के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे एवं श्री एम0सी0बी0चक्रवर्ती ने जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी अभिषेक के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी अभिषेक के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार प्राप्त की गई थी।

16. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या जप्तशुदा 315 वोर की बंदूक एवं दो राउण्ड संचालनीय स्थिति में थे। उक्त संबंध में आर्म्समोहररिं राजकिशोर सिंह आ0स05 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 15/07/13 को पुलिस लाईन भिण्ड में थाना गोहद चौराहा केअप0क0165/13 में जप्तशुदा 313 वोर की रायफल एवं दो राउण्ड की जांच की थी जांच के दौरान उसने रायफल का एक्शन चैक किया था एक्शन सही पाया गया था रायफल से फायर किया जा सकता था। रायफल चालू हालत में थी दोनों राउण्ड जिंदा थे उनसे फायर किया जा सकता था। उसकी जांच रिपोर्ट प्र0पी08 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने रायफल से फायर करके नहीं

देखा था केवल एक्शन चैक किया था।

17. इस प्रकार प्र०आरक्षक राजकिशोर सिंह आ०सा००५ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि जप्तशुदा रायफल एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में थे यद्यपि उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने रायफल से फायर करके नहीं देखा था परन्तु उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसने रायफल का एक्शन चैक किया था तथा रायफल का एक्शन सही पाया गया था। प्र०आरक्षक राजकिशोरसिंह आ०सा००५ के कथनों से यह दर्शित है कि उसने जांच के दौरान जप्तशुदा रायफल के कलपुर्जे एवं उसका एक्शन चैक किया था तथा उसने पाया था कि रायफल के सभी कलपुर्जे सही कार्य कर रहे थे उसी आधार पर उसके द्वारा उक्त रायफल संचालनीय स्थिति में होना बताया गया है। जप्तशुदा कारतूस भी उसने संचालनीय स्थिति में होना बताया है। बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि जप्तशुदा रायफल का एक्शन सही नहीं था एवं जप्तशुदा रायफल एवं कारतूस से फायर नहीं किया जा सकता था। प्र०आरक्षक राजकिशोर सिंह आ०सा००५ के कथनों से यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा रायफल एवं कारतूस की जांच की गई थी तथा जांच के दौरान उसने रायफल एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में पाये थे। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डनमें कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि जप्तशुदा 315 वोर की रायफल एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में थे।

18. अब मुख्य विचारणीयप्रश्न यह है कि क्या जप्तशुदा 315 वोर की बंदूक एवं दो कारतूस आरोपी अभिषेक ने वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे थे? उक्त संबंध में जप्तीकर्ता ए०एस०आई सुभाष पांडे आ०सा००३ ने अपने कथन में यह बताया है कि वह घटना दिनांक को मय फोर्स भंवरपाल के साथ ग्राम बंजारे के पुरा पर गया था तथा मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर उसने डांग पहाड से आरोपी अभिषेक से 315 वोर की बंदूक एवं दो कारतूस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी००१ एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी००२ बनाया था आरक्षक मनोज शुक्ला आ०सा००२ ने भी घटना दिनांक को ए०एस०आई सुभाष पांडे के साथ ग्राम बंजारे के पुरा जाना तथा आरोपी से 315 वोर की बंदूक जप्त करना बताया है परन्तु उक्त संबंध में कोई

8

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-740/2013

रोजनामचा सान्हा अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है । यहां यह उल्लेखनीय है कि जब कोई सूचना अधिकारी/कर्मचारी थाने से रवाना होता है तो उसकी रवानगी रोजनामचे में दर्ज की जाती हैं एवं वह रोजनामचा सान्हा उस पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की थाने से रवानगी का प्राथमिक साक्ष्य होता है। प्रस्तुत प्रकरण मे पुलिस द्वारा ऐसा कोई रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रस्तुत न करने का कोई कारण बताया गया है। ऐसी स्थिति में यह ही संदेहास्पद हो जाता है कि घटना दिनांक को ए0एस0आई सुभाष पांडे एवं आरक्षक मनोज शुक्ला घटना स्थल पर गये थे अथवा नहीं।

19. ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा03 ने घटना दिनांक को आरक्षक मनोज शुक्ला एवं भवरपाल के समक्ष आरोपी से 315 वोर की बंदूक एवं दो कारतूस तथा मोटरसायकिल जप्त करना बताया है परन्तु साक्षी भवरपाल आ0सा01 द्वारा ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा03 के कथन का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से कटटा जप्त नहीं किया था आरक्षक मनोज शुक्ला आ0सा02 ने भी अपने कथन में आरोपी से 315 वोर की बंदूक एवं मोटरसायकिल जप्त करना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि मौके पर आरोपी से दो कारतूस भी जप्त हुये थे इस प्रकार उक्त बिन्दु पर ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा03 के कथन आरक्षक मनोज शुक्ला आ0सा02 के कथन से विरोधाभासी रहे है। स्वतंत्र साक्षी भवरपाल आ0सा01 द्वारा भी ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा03 के कथन का समर्थन नहीं किया गया है उपरोक्त सभी तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

20. आरक्षक मनोज शुक्ला आ0सा02 ने अपने कथन में यह बताया है कि दरोगा जी ने उसके सामने आरोपी अभिषेक से हाफ वट की बंदूक एवं मोटरसायकिल जप्त की थी परन्तु जप्ती पंचनामा प्र0पी01 पर आरक्षक मनोज शुक्ला के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त संबंध मे ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा03 द्वारा कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

21. ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा03 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने मौके पर चार हथियार बंद आदमी देखे थे जो कि अलग अलग दिशाओं में भागे थे जिन्हें पकड़ने के लिये

9 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-740/2013

पुलिस वाले भी अलग अलग दिशाओं में भागे थे परन्तु उक्त साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया गया है कि उसे जानकारी नहीं है कि अन्य लोगों को कहा से पकड़ा था एवं वह यह भी नहीं बता सकता कि अन्य लोगों को किन पुलिस वालों ने पकड़ा था । ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा03 ने स्वयं सारी कार्यवाही करना बताया है ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी का यह कहना कि अन्य लोगों को किन पुलिस वालों ने कहा से पकड़ा था उसे जानकारी नहीं है संपूर्ण अभियोजन घटना को ही संदेहास्पद बना देता है।

22. ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा03 एवं आरक्षक मनोज शुक्ला आ0सा02 ने आरोपी से 315 वोर की बंदूक एवं दो कारतूस जप्त करना बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा जप्तशुदा आयुध के आकार प्रकार एवं पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं दिया गया है। उक्त साक्षीगण द्वारा जप्तशुदा आयुध को मौके पर शीलबंद किये जाने के संबंध में भी कोई कथन नहीं दिया गया है जप्ती पंचनामा प्र0पी01 में भी जप्तशुदा आयुध के शीलबंद किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

23. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्र0आर0 वीरेन्द्र सिंह आ0सा06 ने अपने कथन में आरोपी से पूछताछ कर प्र0पी05 का मेमोरेंडम तैयार करना एवं दिनांक 09/07/13 को आरोपी से 315 वोर के दो राउण्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी04 तैयार करना बताया है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्र0पी05 के मेमोरेंडम में आरोपी अभिषेक ने कारतूस के संबंध में कोई कथन नहीं दिया है ऐसी स्थिति में प्र0पी04 के जप्ती पंचनामा के अनुसार आरोपी अभिषेक से जो दो कारतूस जप्त करना बताया गया है वह प्र0पी05 के मेमोरेंडम के अनुशरण में जप्त नहीं किये गये हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी से दिनांक 07/07/13 को 315 वोर की गन एवं दो कारतूस जप्त किये गये थे तत्पश्चात् जप्ती पंचनामा प्र0पी04 के अनुसार आरोपी से दिनांक 09/07/13 को 315 वोर के दो कारतूस और जप्त किये गये थे इस प्रकार आरोपी से कुल चार कारतूस अभियोजन कहानी के अनुसार जप्त किये गये परन्तु अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी09 के अवलोकन से यह दर्शित है कि उसमें आरोपी से मात्र 315 वोर की गन एवं दो जिंदा कारतूस जप्त होने का उल्लेख है तथा प्र0आर0 राजकिशोर सिंह आ0सा05 ने भी अपने

कथन में 315 वोर की रायफल एवं दो जिंदा कारतूस जांच करना बताया है। यदि आरोपी से वास्तव में चार कारतूस जप्त किये गये थे तो दो कारतूस कहाँ गये उनका क्या किया गया उक्त संबंध में कोई जानकारी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो कि संपूर्ण अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

24. आरक्षक गुलाबचन्द्र आ0सा04 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी अभिषेक से पूछताछ कर प्र0पी07 का मेमोरेंडम बनाया था परन्तु प्र0पी07 के मेमोरेंडम के अग्रशरण में कोई सम्पत्ति बरामद नहीं हुई है ऐसी स्थिति में प्र0पी07 के मेमोरेंडम का कोई औचित्य नहीं है।

25. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद है स्वतंत्र साक्षी द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। रोजनामचा सान्हा भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जप्तशुदा आयुध को मौके पर शीलबंद किये जाने का भी कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी अभिषेक को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

26. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

27. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित में असफल रहा है कि आरोपी ने 07/07/13 को 11:15 बजे ग्राम बंजारे का पुरा के पास पहाड़ डांग पर सार्वजनिक स्थल पर एक 315 वोर की बंदूक एवं दो कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखें। फलतः यह न्यायालय आरोपी अभिषेक को संदेह का लाभ देते हुये उसे आयुध अधिनियम की धारा 25 (1)(1-ख) क के आरोप से दोषमुक्त करती है।

28. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

29. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसायकिल पूर्व से सुर्पुदगी पर है। अतः उसके संबंध में

11 **आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-740/2013**

सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे । प्रकरण में जप्तशुदा 315 बोर की बंदूक एवं कारतूस अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण हेतु जिला दंडाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावें।

स्थान:- गोहद,

दिनांक:-09.1.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टाईप किया

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
कीय / विधिक उपयोग हेतु अम